वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइसेशन

केलिए

निविदा सूचना

सं. ई डी पी/एस डब्ल्यू/वेब-ई एन एच/2018 5 जून, 2018

1. **परिचय**

स्पाइसेस बोर्ड(वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार) भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी संवर्धन का अग्रणी संगठन है। बोर्ड भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी आयतकों के बीच की कड़ी है।

2. **उद्देश्य**

स्पाइसेस बोर्ड अपनी वेबसाइट www.indianspices.com के एस ई ओ केलिए निविदा आमंत्रित करता है।

3. **कार्य की संभावना**

क) सर्च इंजन परिणामों को अधिकतम बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी 52 मसालों के नाम(key words) के खिलाफ़ वेबसाइट गूगल.कोम (google.com) पर शीर्ष दस प्रविष्टियों की रैंक में ले आने के लिए एक ज़ोरदार एस ई ओ तंत्र तैयार करना। मसालों के नाम(key words),"English Common Name" के शीर्षक के अधीन http://indianspices.com/sites/default/files/spices%20list%20under%20purview%20of%20spices%20board.pdf में दिया गया है।

ख) एस ई ओ क्रियाकलाप की अवधि एक वर्ष है ।

ग) वेबसाइट केलिए एस ई ओं से जुडे इनपुटों (Keywords, Meta tags, Description tags, Doctype declaration, Character encoding, URL structure, Robots.txt, Canonical link element, XML and HTML sitemaps, custom 404, Redirects, HTTP headers, HTML code, iFrame etc.) का कार्यान्वयन।

घ) वेबसाइट में ओर्गेनिक ट्रैफ़िक का सुधार

ङ) हर महीने विस्तृत विश्लेषण एवं वेब ट्रैफ़िक रिपोर्ट प्रदान करना। रिपोर्टों में की-वर्ड रैंकिंग भी शामिल होना चाहिए।

4. **एजेंसी को सूचना**

क) मसाला बोर्ड, प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

ख) प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व स्पाइसेस बोर्ड, किसी भी समय, किसी भी कारणवश, अपनी ही पहल पर या किसी आमंत्रित फर्म के स्पष्टीकरण के अनुरोध की प्रतिक्रिया में कार्य की संभावना का संशोधन कर सकता है। किसी भी प्रकार का संशोधन वेबसाइट पर दिया जाएगा और वह बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा। स्पाइसेस बोर्ड अपने विवेक के अनुसार प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकता है।

ग) एजेंसियों के पास वास्तविक या संभावित विरोध की किसी भी स्थिति का खुलासा करने का दायित्व है जो मसाला बोर्ड के सर्वोत्तम हितों की सेवा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है, या इसे उचित रूप से इस प्रभाव के रूप में माना जा सकता है। एजेंसी द्वारा ऐसी स्थितियों का खुलासा करने में चूक होने पर एजेंसी को अयोग्य समझा जाएगा और ठेके को रद्द किया जा सकता है।

घ) ठेके के चयन व निष्पादन के दौरान एजेंसियों को नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करना होगा। मसाला बोर्ड किसी भी स्तर पर एक प्रस्ताव को खारिज कर सकता है यदि यह पाया जाता है कि ठेका प्रदान करने के लिए अनुशंसित फर्म ने ठेके प्रतियोगिता में भ्रष्ट या धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल हुआ है, और यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि फ़र्म ने ठेके प्रतियोगिता केलिए, या ठेके के निष्पादन में, भ्रष्ट या धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल हुआ है तो फ़र्म को एक अयोग्य फ़र्म घोषित किया जा सकता है या फ़र्म को काली सूची में, या तो अनिश्चित काल केलिए या फ़िर निश्चित अवधि केलिए, शामिल किया जा सकता है।

5. चयन, पात्रता एवं मूल्यांकन मानदंड

निम्नलिखित पात्रता-मानक पूरा करने वाली कंपनियों/फर्मों/संगठनों द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाएगी और तकनीकी बोली के साथ इसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा ।

i. कंपनी को पिछले पांच वित्तीय वर्षों में(2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18) भारत के एक सरकारी संगठन (केंद्र सरकार/राज्य/उपक्रम/स्वयत्त निकाय) या किसी भारतीय सूचित कंपनी के साथ एस ई ओ से संबंधित कम से कम एक वेब परियोजना के निष्पादन का अनुभव होना चाहिए।

ii. एजेंसी को, स्पाइसेस बोर्ड वेबसाइट के रैंकिंग तथा वेब ट्रैफ़िक सुधारने के एस ई ओ कार्य लेने केलिए, एक सक्षम टीम प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। एजेंसी के टीम को स्पाइसेस बोर्ड के साथ मिलकर काम करना होगा। एजेंसी को एक पुष्टीकरण पत्र संलग्न करना होगा कि वह योग्य टीम प्रदान करने में सक्षम है। स्पाइसेस बोर्ड परियोजना केलिए समर्पित टीम का विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

iii. कंपनी को वेब विकास/ एस ई ओ के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभाव होना चाहिए और उसकेलिए समर्थक दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

iv. निविदा के साथ कम से कम पिछले तीन वर्षों के लेखों का लेखापरीक्षित दस्तावेज़ होना चाहिए।

v. तकनीकी रूप से योग्य फ़र्मों के मामले में ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जाएगा। जो फ़र्म योग्य साबित नहीं हुए हो उनके वित्तीय प्रस्तावों को बिना खोले ही वापस किया जाएगा।

vi. प्रतिभागी विक्रेता को एक निजी लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी/सरकारी उपक्रम होना चाहिए ।

6. निविदा प्रस्तुत किए जाने का प्रपत्र(फ़ॉर्मेट)

बोलीदाता अपना कोटेशन निचे दिए फ़ोर्मेट में देंगे :

#	मद	लागत -रुपयों में (करों को छोडकर)
1	एस ई ओ सेवाओं केलिए कुल मासिक लागत	

7. प्रदेय परियोजना

परियोजना के सक्रिय बने रहने के दौरान निम्नलिखित प्रदेयों को उल्लिखित किया जाएगा।

i. स्रोत कोड

ii. परिवर्तन और कार्यप्रणाली पर प्रलेखन।

iii. एजेंसी को तत्काल ज़रूरतों तथा अल्पकालीन क्षमताओं पर ज़ोर देते हुए दीर्घकालीन लक्ष्यों के विकास और पोषण केलिए एक एकीकृत तंत्र प्रदान तथा निष्पादित करने की क्षमता होनी चाहिए। एजेंसी परिणामोन्मुख होना चाहिए और एजेंसी द्वारा एस ई ओ संबंधित सभी लक्ष्यों की पूर्ति की जानी चाहिए।

iv. एक समर्पित एस ई ओ टीम को स्पाइसेस बोर्ड के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करना होगा ।

v. एजेंसी, स्पाइसेस बोर्ड को हर महीने विस्तृत एस ई ओ रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए ।

8. स्पष्टीकरण

किसी भी स्पष्टीकरण केलिए, श्री जिजेष टी दास, उप निदेशक(ई डी पी) से 91-484-2333603/ jijesh.das@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

9. निविदा की प्रस्तुति :

निविदा की तैयारी

निविदाएँ दो-बोली प्रणाली, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के अंतर्गत अलग मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

तकनीकी बोली में बयाना जमा (ई एम डी) के साथ-साथ पात्रता-मानदंड के प्रमाण-स्वरूप सभी तकनीकी विवरण और दस्तावेज़ होने चाहिए। तकनीकी बोली में कोई भी मूल्य शामिल नहीं किए जाने चाहिए। वित्तीय बोली धारा 6 में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार लागत सूचित करें। तकनीकी व वित्तीय बोलियों को अलग-अलग लिफाफों में डालकर मोहरबंद किया जाना चाहिए। दोनों मोहरबंद लिफाफों को "26/06/2018 को नियत वेबसाइट के एस ई ओ केलिए निविदा" उपरिलिखित बड़े लिफाफे में डालना चाहिए।

निविदा की सुपुर्दगी

इसमें रुचि रखने वाले अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में समर्थक दस्तावेज़ों के साथ स्पीड पोस्ट / रजिस्ट्रीकृत डाक / या दस्ती प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि निम्नलिखित पते पर 26 जून 2018 को सायं 3.00 बजे आई एस टी को या उससे पूर्व पहुँच जाए। तकनीकी बोलियाँ 27 जून 2018 को सुबह 10.00 बजे आई एस टी स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन में खोली जाएंगी। तकनीकी बोलियों के सत्यापन के बाद, योग्य बोलीदाताओं को वित्तीय बोली खोलने की तिथि सूचित की जाएगी।

उप निदेशक (ई डी पी)
स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन
एन एच बै पास, पालारिवट्टम, कोचीन - 25
टेली : +91-484-2333603 , इ-मेइल : jijesh.das@ nic.in

10. बयाना जमा (ई एम डी)

बोलीदाताओं द्वारा निविदा के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "सचिव, स्पाइसेस बोर्ड " के नामे बनाए कोच्ची में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 22,500/- रुपए का समतुल्य बयाना जमा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बयाना जमा तीन महीनों तक वैध रहेगा। बयाना जमा के रूप में बैंक गारंटी स्वीकार्य नहीं होगी।

सरकार द्वारा बयाना जमा के भुगतान से विनिर्दिष्ट छूट न दी गई हो और उसका कारण और प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो तो बयाना जमा के बिना प्रस्तुत की गई तकनीकी बोली का निरसन किया जाएगा।

ठेका प्रदान करने के बाद असफल बोलीदाताओं को बिना ब्याज के बयाना जमा की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

निविदा खोलने की तारीख से 45 दिनों के अंतर्गत असफल बोलीदाताओं को बयाना जमा (बिना ब्याज के) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

सफल बोलीदाता को बयाना जमा की प्रतिपूर्ति (बिना ब्याज के) कार्य-आदेश की स्वीकृति और एक महीने की संतोषजनक सेवा के बाद की जाएगी।
यदि विक्रेता द्वारा अपने निविदा की विधिमान्यता की अवधि के अंतर्गत अपना निविदा वापस लेने या उसका संशोधन किए जाने या निविदा का किसी भी प्रकार अनादर किए जाने की स्थिति में बयाना जमा जब्त किया जाएगा।

11. भुगतान-निबंधन

संतोषजनक निष्पादन के आधार पर प्रत्येक माह के अंत में

12. निबंधन और शर्तें

क) वित्तीय बोली धारा 6 में दिए फॉर्मेट में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। अन्य निविदाएँ रद्द की जाएंगी।

ख) कार्य पूरा करने की समयावधि; और कोई अन्य सूचना जो परियोजना केलिए संगत होगी।

ग) प्रस्तुत किए जाने केलिए निर्धारित अंतिम समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ) किए गए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्पाइसेस बोर्ड या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा उसकी जांच की जाएगी।

ड.) एक हफ्ते का नोटिस देकर ठेके को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार स्पाइसेस बोर्ड को है।

च) निविदा की विधिमान्यता उसके प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कम से कम तीन महीनों तक की रहेगी। इस अवधि के दौरान बोलीदाता से इस कार्य केलिए प्रस्तावित पेशेवर स्टाफ को तैयार रखने की उम्मीद की जाती है। स्पाइसेस बोर्ड इस अवधि के दौरान निविदा पर निर्णय लेने का पूरा प्रयास करेगा। यदि स्पाइसेस बोर्ड प्रस्तावों की विधिमान्यता की अवधि बढ़ाना चाहता है, तो उससे असहमत बोलीदाताओं को अपने प्रस्तावों की विधिमान्यता नहीं बढ़ाने का अधिकार होगा।

उप निदेशक (ई डी पी)